न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **अशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3660–दो/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–9–2012 पारित द्वारा तहसीलदार, जतारा जिला टीकमगढ़ प्रकरण कमांक 17/अ–3/11–12

.....

जयराम घोष तनय श्री उत्तम सींग घोष
उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम मचौरा, तहसील जतारा,जिला टीकमगढ़ म0 प्र0
.....आवेदक

विरूद्ध

1 पुनू वल्द परमा ढीमर
2 रामदेवी पत्नि सुनील घोषी
निवासी ग्राम मचौरा, तहसील जतारा
जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री सुरेन्द्र पटेल, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2-12-2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, जतारा जिला टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–9–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि आवेदक जयराम पुत्र उत्तम घोष निवासी मचौरा द्वारा तहसीलदार को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम मचौरा की भूमि सर्वे कमांक 895/1 रकबा 21.246 हैक्टेयर में से अंश रकबा 0.405 हैक्टेयर जो उसे दखल रहित भूमि 1984 के तहत पट्टे पर प्राप्त हुई थी, के नक्शा तरमीम का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था । नक्शा तरमीम के समय बंटाक नंबर 895/9 हुआ जो तहसीलदार के प्रकरण कमांक 22/अ–3/93–94 में पारित आदेश दिनांक 14–9–94 से बटांकन स्वीकार किया गया था । तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 14–9–94 की अपील अनावेदक पुनुआ द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई , जो प्रकरण कमांक 24/अपील/94–95 पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 14–9–94 निरस्त किया जाकर सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर तथा उन्हें पक्षकार बनाकर मौके पर स्व्य सत्यापन कर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के कम में तहसीलदार द्वारा अपने प्रकरण कमांक 22/अ–3/93–94 में पारित आदेश दिनांक 28–2–96 पारित किया जाकर आवेदकगण जयराम, महेन्द्र आदि का सर्वे कमांक 895 जुज रकबा 0.405 हैक्टेयर पर तरमीम स्वीकार की गई तथा पटवारी अभिलेख में अमल के आदेश किए गये । तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 28–2–96 के विरूद्ध अपील पुनुआ आदि द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 84/अपील/95–96 पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 22–6–96 से खारिज करते हुए तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 28–2–96 स्थिर रखा गया ।

अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 22–6–96 के पालन में पूर्व में तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–2–96 के अनुसार की गई तरमीम का अमल कराया जाकर नक्शा दुरूस्त कराये जाने हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 24–6–12 पर कार्यवाही करते हुए अपने प्रकरण कमांक 17/अ–3/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 4–9–12 से यह कहते हुए आवेदन

पत्र दिनांक 24–6–12 निरस्त किया गया कि आवेदक आवेदन पत्र में चाही गई सहायता इस न्यायालय से पांने का हकदार नहीं है । तहसीलदार के इस आदेश दिनांक 4–9–12 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में उक्त संबंध में आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किए गये । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से कहा गया कि तहसीलदार के पूर्व तरमीम आदेश दिनांक 28–2–96 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 22–6–96 से स्थिर रखा गया था तथा जिसकी निगरानी अपर आयुक्त के न्यायालय में की गई जो निगरानी प्रत्यावर्तित की जाकर कलेक्टर को भेजी गई । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 187/निग0/99–2000 में पारित आदेश दिनांक 29–5–2000 से निगरानी अदम पैरवी में खारिज की गई । कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही अनावेदक द्वारा किसी न्यायालय में नहीं की गई । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 22–6–96 अंतिम होने से तहसीलदार का तरमीम आदेश दिनांक 28–2–96 स्थिर होकर प्रभावशील हो जाता है जिसका पालन होना चाहिए और इसी आदेश का पालन किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आवेदन पत्र दिया गया जिसे तहसीलदार द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि तहसीलदार के प्रकरण कमांक 29/अ–3/10–11 में पारित आदेश दिनांक 30–7–11 से राजस्व निरीक्षक जतारा के प्रस्ताव दिनांक 27–7–11 के आधार पर नक्शा तरमीम प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है जिसकी अपील आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष की गई जो उसने (आवेदक) द्वारा वापिस ले ली गई । आवेदक यदि आदेश दिनांक 30–7–11 से दुखी था तो उसे अपील करना चाहिए थी ।

इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अनावेदक को उपरोक्त अंकित सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी थी कि अनुविभागीय अधिकारी का पूर्व आदेश दिनांक 22–6–96 के पालन में पूर्व तरमीम आदेश दिनांक 28–2–96 प्रभावशील है इस तथ्य को छिपाते हुए एक नया आवेदन तहसीलदार को देकर प्रकरण कमांक 29/अ–3/10–11 दर्ज कराया जाकर दिनांक 30–7–11 को तरमीम आदेश पारित

कराया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इसके अतिरिक्त यह तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मैमो में अंकित है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गये थे जिन्हें पुनरांकित करने की आवश्यकता नहीं है । उपरोक्त दर्शित स्थिति के आधार पर निगरानी स्वीकार करने एवं तहसीलदार का आदेश दिनांक 30–7–11 निरस्त करने का निवेदन किया गया । साथ ही लिखित तर्क प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया । लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किए गये ।

4/ प्रकरण में अनावेदक अधिवक्ता पूर्व से ही एक पक्षीय है । उनके संबंध में अभिलेखों का अवलोकन कर·अभिलेख के आधार पर निर्णय लिया जा रहा है ।

5/ आवेदक अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्कों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में यह अंकित किया गया है कि आवेदक के भूमि सर्वे कमांक 895/9 रकबा 0.405 हैक्टेयर की तरमीम तहसीलदार के प्रकरण कमांक 22/अ–3/93–94 में पारित आदेश दिनांक 14–9–94 से की गई, जिसके विरूद्ध अपील होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण कमांक 24/अ/94–95 में पारित आदेश दिनांक 8–6–95 से तरमीम आदेश दिनांक 14–9–94 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया । तहसीलदार द्वारा पुनः सुनवाई कर प्रकरण कमांक 22/अ–3/93–94 में पारित आदेश दिनांक 28–2–96 से तरमीम स्वीकार की गई । तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध पुनः अपील कमांक 84/अपील/95–96 में पारित आदेश दिनांक 22–6–96 से तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–2–96 को स्थिर रखा गया । अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त को की गई। जहां पर निगरानी कलेक्टर को प्रत्यावर्तित की गई । कलेक्टर द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 187/निग0/99–2000 कलेक्टर को पारित आदेश दिनांक 29–9–2000 से अदम पैरवी में खारिज की गई । ऐसी स्थिति में जब निगरानी कलेक्टर द्वारा अदम पैरवी में खारिज की गई तथा इसके विरूद्ध अनावेदक द्वारा किसी न्यायालय में कलेक्टर के आदेश दिनांक 29–9–2000 को चुनौती नहीं दिया गया तब पूर्व

अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 22–6–96 एवं तहसीलदार का आदेश दिनांक 28–2–96 प्रभावशील हो जाता है ।

यह भी देखने में आया है कि उक्त आदेशों को छिपाकर अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय में एक नया आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण कमांक 29/अ–3/10–11 पंजीबद्ध.कराकर आदेश दिनांक 30–7–11 से तरमीम करा लिया गया, जिसके विरूद्ध अपील आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में की गई एवं प्रकरण कमांक 15/अ/11–12 पर दर्ज हुई किन्तु उसे आवेदक द्वारा इस आधार पर वापिस किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार का पूर्व आदेश दिनांक 22–6–96 एवं 28–2–96 प्रभावशील है । जिसके पालन हेतु आवेदक द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 24–6–12 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । जिसे अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 4–9–12 से यह अंकित करते हुए निरस्त कर दिया गया कि आवेदक आवेदन दिनांक 24–6–12 के द्वारा चाही गई सहायता इस न्यायालय से पाने का हकदार नहीं है ।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में एवं आवेदक के आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों के प्रकाश में अधीनस्थ तहसीलदार को यह देखना चाहिये था कि विवादित भूमि के संबंध में जारी पूर्व अधिकारी के आदेश दिनांक 22–6–96 एवं 28–2–96 स्थिर है तब इन आदेशों के स्थिर रहते एवं प्रभावशील रहते अधीनस्थ न्यायालय का दूसरा तरमीम आदेश दिनांक 30–7–11 किस प्रकार जारी किया जा सकता है एवं किस प्रकार प्रभावशील हो सकता है । अतः पूर्व आदेश के प्रभावी रहने की स्थिति में नया आदेश दिनांक स्वतः ही निष्प्रभावी हो सकता है । ऐसी स्थिति में आक्षेपित आदेश दिनांक 4–9–12 के के प्रभावहीन होने से स्थिर नहीं रखा जा सकता है ।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 30–7–11 एवं दिनांक 4–9–12 स्थगित किए जाकर प्रभावशून्य घोषित किए जाते है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार, जतारा को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 22–6–96 एवं तहसीलदार जतारा के तरमीम आदेश दिनांक 28–2–96 के अनुक्रम में उभयपक्ष को

सुनवाई का एवं पक्ष समर्थन का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिक प्रकियाओं का अनुसरण करते हुए अभिलेख में पालन कराये । साथ ही यह देखा जावे कि यदि उक्त आदेशों का पूर्व पालन हो गया हो और बाद में उन्हें अभिलेख से हटाया गया हो तो पूर्ववत पालन की स्थिति अभिलेख में कायम की जावे । इस प्रकार पूर्व आदेश दिनांक 22–6–96 एवं 28–2–96 का पालन होते ही उक्त स्थगित एवं प्रभाव शून्य घोषित आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेगें । आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भेजा जावे । पक्षकार सूचित हो । प्र0दा0रि0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर